प्रकरण संख्या 13/2024 जमनालाल व अन्य बनाम भेरा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा थूर, तहसील बड़गांव में साबिक आराजी नंबर 94/2, 94/1, 90/1 कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 1502 रकबा 2.5000 हैक्टर हैं। उक्त भूमि पूर्व में विपक्षीगण के मौरूस भीमा वल्द पेमा डांगी के खातेदारी की थी तथा भीमा जी ने साबिक आराजी में से 19 बिस्वा भूमि जमना व कालू को संवत् 2018 में 32/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से उक्त 19 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार तथा विपक्षीगण का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 अनुसार है। उक्त जमीन उस समय प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज नहीं होने के कारण भीमा जी की मृत्यु के बाद विपक्षीगण के नाम दर्ज हो गयी, जबकि हाल आराजी नंबर 1502 में से 19 बिस्वा अर्थात 0.2052 हैक्टर भूमि पर कब्जा आज भी प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है, किन्तु उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 23.01.2024 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, तत्पश्चात दिनांक 03.05.2024 को उक्त जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:32 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु तीन बजे तक रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से दिनांक 06.05.2024 की पेशी दी गयी, परन्तु फर्द अहकाम नहीं लिखी गयी तथा अपीलान्ट अधिवक्ता के चले जाने के बाद रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने हेतु कहा, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में विपक्षीगण का जवाब लेकर एवं एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 23.01.2024 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया, जो एबइनिश्योवोईड होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.05.2024 अपास्त किया जाकर विपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (28) 2021 Page 222, RBJ (29) 2022 Page 25, CT 2019 (2) (SC) Page 524, RBJ (23) 2016 Page 594 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब व बहस के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (12) 2005 Page 87, RBJ (13) 2006 Page 21, RRT 2010 (1) Page 589, RBJ (13) 2006 Page 773, RBJ (4) 1997 Page 111, RRT 2006-07 (Supp.) Page 630, RRT 2021 (1) Page 610 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय नजीरों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2024 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी, किन्तु दिनांक 03.05.2024 को प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:32 IST
Reason: SelfAttested

में एवं उन्हें बिना सुने मात्र विपक्षी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 23.01.2024 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त कर दिया, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने प्रस्तुत की हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 5/2021 निर्णय दिनांक 03.05.2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:32 IST
Reason: SelfAttested